

587ITC/16
16/3/16

**OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

ORDER NO. 5/34-16 M-I (3)

DATED, PANCHKULA, THE 03.03.2016

As per provisions contained in Haryana Govt. Finance Department notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 07-01-2009 and modified dated 04.03.2014 forwarding therewith notification dated 30.12.2008 for implementation of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008, the following employees are hereby granted **ACP** in the grade as mentioned against their name on completion of their regular satisfactory service as per ACP Rules, 2008 may be checked up at the time of Pay fixation of the Official Concerned.

Sr. No	Name & Designation	Place of posting	File no.	ACP stage (I, II, III)	Functional pay revised as per HCS rules 2008	Due date of ACP	Completion 8/10/16/20/24 /30
1.	Anil Kapoor, ESHM	GMS Dhandardu (PKL)	5/34-16MI(3)	3 rd	G.P.-6000/-	01.01.15	24 as math master
2.	Jagdish Prasad, ESHM	GMS Bariwala (PKL)	-do-	3 rd	G.P.-6000/-	01.01.15	24 as SKT. Tr.
3.	Neelu Mahajan, Science mistress	GHS Sector-17 (PKL)	-do-	2 nd	G.P.-5400/-	01.12.15	16 as science mistress
4.	Kamal Kanta, ESHM	GMISSS Sec-12 A (PKL)	-do-	3 rd	G.P.-6000/-	01.01.15	24 as math mistress
5.	Narender Balhara, Math master (Eco club incharge)	DEO Office Panchkula	-do-	1 st	G.P.-4800/-	01.04.13	10 as math master


**VIRENDER KUMAR DAHIYA, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

**ENDST. NO. EVEN
Regd.**

DATED, PANCHKULA, 08.03.2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, **Panchkula**. It is requested that enclosed service books and personal files send to the concerned schools and all copies send to concerned at your own level.
2. Head of Institution concerned.
3. Official Concerned.
4. I.T. Cell.


**SUPERINTENDENT HRM-I
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

588 IT 64
16/3/16

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ORDER NO. 5/30-2016 HRM-I (3)

DATED, PANCHKULA, THE 03.03.2016

As per provisions contained in Haryana Govt. Finance Department notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 07-01-2009 and modified dated 04.03.2014 forwarding therewith notification dated 30.12.2008 for implementation of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008, the following employees are hereby granted **ACP** in the grade as mentioned against their name on completion of their regular satisfactory service may be checked up at the time of Pay fixation of the Official Concerned.

Sr. No.	Name & Designation	Place of posting	File no.	ACP stage (I, II, III)	Functional pay revised as per HCS rules 2008	Due date of ACP	Completion 8/10/16/20/24/30
1.	Santosh, ESHM	GMSSS Ismailabad (Kurukshetra)	5/30-16MI(3)	3 rd	G.P.- 6000/-	1.11.15	24 as SKT. Tr.
2.	Veena Rani, ESHM	GGMS Umri (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.1.16	16 as SKT. Tr.
3.	Ram Bhagat, ESHM	GMS Salpani Kalan (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 6000/-	1.11.15	24 as SKT. Tr.
4.	Sohan Lal, ESHM	GMS Sunheri Khalsa (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 6000/-	1.12.15	24 as Science master
5.	Vijay Sharma, math master	GSSS Bir Mathana (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math master
6.	Samunder Singh, Math master	GSSS Barna (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math master
7.	Archana, Math Mistress	GSSS Balahi (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math mistress
8.	Subhash Chander, Math master	GSSS Mirzapur (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math master
9.	Balwan Singh, Math master	GSSS Dhurala (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math master
10.	Purushottam Dutt, ESHM	GSSS Amin (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 6000/-	1.11.15	24 as SKT. Tr.
11.	Usha Rani, Math Mistress	GSSS Yara (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math mistress
12.	Iqbal Singh, Math master	GSSS Bhodhni (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as math master
13.	Rajbir Singh, Science master	GSSS Bani (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as science master
14.	Kailash Chander, ESHM	GMS Masana (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 6000/-	1.02.16	24 as science master

15.	Vijender Singh, Sci. Master	GMS Kaulapur (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as science master
16.	Phool Kumar, Science master	GMS Bhiwani Khera (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	1.11.15	16 as science master
17.	Pawan Kumar, SS Master	GMS Kalirono (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 4800/-	1.07.15	16 as JBT
18.	Gian Singh, SS Master	GMS Bodla (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 5400/-	1.01.15	24 as JBT
19.	Brahm Prakash, SS Master	GSSS Kharindwa (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 4800/-	1.08.15	16 as JBT
20.	Asha Gaba, SS Master	GMS Sec-13 U.E. Kurukshetra (Kurukshetra)	-do-	1 st	G.P.- 4800/-	4.03.14	8 as SS Mistress
21.	Laxman Kumar, SS Master	GMS Jaiswal Farm (Kurukshetra)	-do-	2 nd	G.P.- 4800/-	1.07.15	16 as JBT
22.	Sushma Rani, SS Mistress	GSSS Bir Mathana (Kurukshetra)	-do-	3 rd	G.P.- 5400/-	4.03.14	24 as JBT

**VIRENDER KUMAR DAHIYA, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**


ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, 08-03-2016

Regd.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, **Kurukshetra**. It is requested that enclosed service books and personal files send to the concerned schools and all copies send to concerned at your own level.
2. Head of Institution concerned.
3. Official Concerned.
4. I.T. Cell.


**SUPERINTENDENT HRM-I
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

589ITCell
16/3/16

**OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

ORDER NO. 5/48-15 M-I (3)

DATED, PANCHKULA, THE 01.03.2016

As per provisions contained in Haryana Govt. Finance Department notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 07-01-2009 and modified dated 04.03.2014 forwarding therewith notification dated 30.12.2008 for implementation of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008, the following employees are hereby granted **ACP** in the grade as mentioned against their name on completion of their regular satisfactory service as per ACP Rules, 2008 may be checked up at the time of Pay fixation of the Official Concerned.

Sr. No	Name & Designation	Place of posting	File no.	ACP stage (I, II, III)	Functional pay revised as per HCS rules 2008	Due date of ACP	Completion 8/10/16/20/24/30
1.	Namita Kakkar, SS Master	GSSS Karanpur (PKL)	5/48-15MI(1)	1 st	G.P.-4800/-	04.03.14	8
2.	Sneh Maini Chabra, SS Mistress	GHS Sector-17 (PKL)	5/27-16MI(3)	2 nd as JBT	G.P.-4800/-	04.05.14	16

**VIRENDER KUMAR DAHIYA, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**


**ENDST. NO. EVEN
Regd.**

DATED, PANCHKULA, 11-3-16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, **Panchkula**. It is requested that enclosed service books and personal files send to the concerned schools and all copies send to concerned at your own level.
2. Head of Institution concerned.
3. Official Concerned.

✓ 4. I.T. Cell.


**SUPERINTENDENT HRM-I
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

590 ITC/16
16/3/16

OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA

ORDER NO. 5/28-16 M-I (3)

DATED, PANCHKULA, THE 03.03.2016

As per provisions contained in Haryana Govt. Finance Department notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 07-01-2009 and modified dated 04.03.2014 forwarding therewith notification dated 30.12.2008 for implementation of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008, the following employees are hereby granted **ACP** in the grade as mentioned against their name on completion of their regular satisfactory service as per ACP Rules, 2008 may be checked up at the time of Pay fixation of the Official Concerned.

Sr. No	Name & Designation	Place of posting	File no.	ACP stage (I, II, III)	Functional pay revised as per HCS rules 2008	Due date of ACP	Completion 8/10/16/20/24/30
1.	Usha Rani, SS Mistress	GSSS BC Bazar, Ambala Cantt.	5/28-16MI(3)	2 nd	G.P.-5400/-	01.03.14	20 as master
2.	Menu Sharma, SS Mistress	GMS Saunti Ambala	-do-	1 st	G.P.-4800/-	04.03.14	8 as master
3.	Renu Sawhney, ESHM	GMS Khojkipur Ambala-2	-do-	3 rd	G.P.-6000/-	01.01.15	24 as master
4.	Indu Sharma, SS Mistress	GMS Boh Ambala Cantt-II	-do-	2 nd as JBT	G.P.-4800/-	04.03.14	16 as JBT
5.	Parveen Kumar, ESHM	GMS Miyan Majra, Ambala	-do-	3 rd	G.P.-6000/-	01.11.15	24 as master
6.	Gurcharan Singh, ESHM	GSSS Dhanana, Ambala	-do-	2 nd	G.P.-5400/-	01.06.14	16 as master

VIRENDER KUMAR DAHIYA, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA


ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, 10.3.2016

Regd.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, Ambala. It is requested that enclosed service books and personal files send to the concerned schools and all copies send to concerned at your own level.
2. Head of Institution concerned.
3. Official Concerned.
4. I.T. Cell.


SUPERINTENDENT HRM-I
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

S91 ITC cell
16/3/16

**OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

ORDER NO. 5/33-16 M-I (3)

DATED, PANCHKULA, THE 01.03.2016

As per provisions contained in Haryana Govt. Finance Department notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 07-01-2009 and modified dated 04.03.2014 forwarding therewith notification dated 30.12.2008 for implementation of Haryana Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 and Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2008, the following employees are hereby granted **ACP** in the grade as mentioned against their name on completion of their regular satisfactory service as per ACP Rules, 2008 may be checked up at the time of Pay fixation of the Official Concerned.

Sr. No	Name & Designation	Place of posting	File no.	ACP stage (I, II, III)	Functional pay revised as per HCS rules 2008	Due date of ACP	Completion 8/10/16/20/24/30
1.	Pawan Kumar, Science Master	GMS Ramgarh Pandwa (Kaithal)	5/33-16MI(3)	2 nd	G.P - 5400/-	01.11.15	16
2.	Satyawan, Science Master	GSSS Khadalwa (Kaithal)	-do-	2 nd	G.P.- 5400/-	01.11.15	16

**VIRENDER KUMAR DAHIYA, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**


ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, 15-03-2016

Regd.

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, **Kaithal**. It is requested that enclosed service books and personal files send to the concerned schools and all copies send to concerned at your own level.
2. Head of Institution concerned.
3. Official Concerned.
4. I.T. Cell.


**SUPERINTENDENT HRM-I
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

586 IT Cell
16/3/16

OFFICE OF DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ORDER NO. 23/2-2016 HRM-II (2)

DATED PANCHKULA THE, 10.03.2016

The service period from 29.06.2013 to 02.07.2013 in respect of Sh. Bhagwat Singh, Middle Head(065203), GMS Dharsoon, Distt. Narnaul is hereby treated as leave of kind due.

**VIRENDER KUMAR DAHIYA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST NO. EVEN

DATED PANCHKULA THE, 16-3-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, Narnaul w.r.t his memo No E-I/2015/org.5/90-2564 dated 23.02.2016. He is requested to draw his salary against any vacant post for the period of 29.06.2013 to 02.07.2013.
2. Head Master. GMS Dharsoon, Distt. Narnaul.
3. Sh. Bhagwat Singh. Middle Head(065203), GMS Dharsoon. Distt. Narnaul.
- ✓ 4. IT Cell (H.Q)

Aluob Singh
**SUPERINTENDENT HRM-II
for DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

16/3/16

597 ITG
16/3/16

**OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 15/30-2016 HRM-II (5)

Dated, Panchkula, the 15.3.2016

Smt. Jyoti Rani Math Mistress GMSSS Krishanpura Distt. Panipat is hereby granted the following leave:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Instructions applicable
1.	Child care leave	15-3-2016 to 16-3-2018	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3 FR/28067 dated 01-02-2016

It is also certified that the official would have continued to officiate in class-III but for her proceeding on leave.

She is permitted to draw the usual city compensatory allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.

It is also certified that the officer/official would have continued to officiate in Class-III but for she proceedings on leave during above period.

The sanction is hereby accorded vide F.D. U.O. No. 11/89/2012-3FR dated 31-10-2012 with the condition that Earned Leave, if any in her account the same may be included with CCL.

**VIRENDER KUMAR DAHIYA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA.**

Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 16/3/16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. District Elementary Education Officer, Panipat w.r.t. their Memo No. E-II-/16 dated 23.02.2016.
2. Principal, GMSSS Krishanpura Distt. Panipat .
3. Smt. Jyoti Rani Math Mistress GMSSS Krishanpura Distt. Panipat
4. Technology Officer (I.T Cell)

SUPERINTENDENT HRM-II

**FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA.**




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in



कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/73-2013 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 15-3-16

- 1 श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका, [080348], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम 7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 श्रीमती ज्योति नारा, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि 15 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उभयों से किसी को स्वीकार करती हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती हैं।
- 3 श्रीमती ज्योति नारा, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयत्न के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो उन्हें निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं, यदि सरकार की राय में उन्हें किसी दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती ज्योति नारा, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती हैं जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्रीमती ज्योति नारा, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

कॉपी

रिजिस्ट्रार

(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

रजिस्टर्ड

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 16-3-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
- 2 प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 3 श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका, [080348], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 4 टी ओ/आई टी सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-1।

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,

पंचकूला।


आरोप सूची विरुद्ध— श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका,[080348],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

.....

श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [080348], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है:-

1. विद्यालय में समय पर न आना तथा बच्चों को ठीक तरह से न पढ़ाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा को न निभाना।
2. विद्यालय में बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
3. विद्यालय का माहौल खराब करने के लिए गुटबाजी करना।
4. दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए घरने पर बैठने का साहस करना।
5. विद्यालय के मुख्याध्यापक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर विद्यालय का माहौल खराब करना।
6. विद्यालय के खिलाफ मीडिया में ब्यानबाजी करके विभाग की छवि खराब करना।
7. अभिभावकों को भड़काकर विद्यालय में दिनांक 12.05.2015 को ताला लगवाना।

उपरोक्त अनियमितता करके आपने शिक्षा विभाग एवं विद्यालय की छवि खराब की है जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा है जिससे आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही बनती है।



(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची विरुद्ध— श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका,[080348],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)

श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [080348], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में मुख्याध्यापक एवं श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [062379] के बीच लगभग एक वर्ष से झगड़ा चल रहा था जिसकी सूचना अध्यापिका द्वारा कभी भी किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई। दिनांक 11.05.2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 13.05.2015 को विद्यालय में जाकर जांच की तब तक भी कोई शिकायत नहीं दी गई थी। अध्यापिका ने विभागीय नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्याध्यापक के विरुद्ध अन्य अध्यापिकाओं के साथ मिलकर बगावत की तथा दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर वक्तों के भविष्य से खिलवाड़ा करते हुए घरने पर बैठने का साहस किया। इससे विद्यालय का माहौल खराब हुआ तथा विभाग की छवि खराब हुई। उक्त कृत्य करके अध्यापिका ने अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।



(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशारान
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

गवाहों की सूची विरुद्ध— श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका,[080348],रा0व0मा0वि0, खेवडा (सोनीपत)

- 1 कार्यालय में उपलब्ध जांच रिपोर्ट।
- 2 समाचार पत्र की प्रति।
- 3 सम्बन्धित कर्लक।

Viraj
(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in



कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/73-2013 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 15-3-16

- 1 श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका, [062930] रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम 7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 श्रीमती पुष्पा रानी, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि 15 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती हैं।
- 3 श्रीमती पुष्पा रानी, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो उन्हें निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती पुष्पा रानी, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती हैं जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्रीमती पुष्पा रानी, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिए।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

रजिस्टर्ड

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 16-3-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
- 2 प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 3 श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका, [062930] रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 4 टी.ओ./आई.टी. सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-11

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,

पंचकूला।


आरोप सूची विरुद्ध— श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका,[062930] रा0व0भा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

.....

श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका,[062930] रा0व0भा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है:--

1. विद्यालय में समय पर न आना तथा बच्चों को ठीक तरह से न पढ़ाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा को न निभाना।
2. विद्यालय में बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
3. विद्यालय का माहौल खराब करने के लिए गुटबाजी करना।
4. दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए घरने पर बैठने का साहस करना।
5. विद्यालय के मुख्याध्यापक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर विद्यालय का माहौल खराब करना।
6. विद्यालय के खिलाफ मीडिया में ब्यानबाजी करके विभाग की छवि खराब करना।
7. अभिभावकों को भड़काकर विद्यालय में दिनांक 12.05.2015 को ताला लगवाना।

उपरोक्त अनियमितता करके आपने शिक्षा विभाग एवं विद्यालय की छवि खराब की है जिससे छात्रों की पढाई पर बहुत ही विपरित असर पड़ा है जिससे आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही बगती है।




(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची विरुद्ध— श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका,[062930] रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) ..


.....
श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका,[062930] रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में मुख्याध्यापक एवं श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [062379] के बीच लगभग एक वर्ष से झगड़ा चल रहा था जिसकी सूचना अध्यापिका द्वारा कभी भी किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई। दिनांक 11.05.2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 13.05.2015 को विद्यालय में जाकर जांच की तब तक भी कोई शिकायत नहीं दी गई थी। अध्यापिका ने विभागीय नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्याध्यापक के विरुद्ध अन्य अध्यापिकाओं के साथ मिलकर बगावत की तथा दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ा करते हुए धरने पर बैठने का साहस किया। इससे विद्यालय का माहौल खराब हुआ तथा विभाग की छवि खराब हुई। उक्त कृत्य करके अध्यापिका ने अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

गवाहों की सूची विरुद्ध—श्रीमती पुष्पा रानी, एस0एस0 अध्यापिका,[062930] रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)

- 1 कार्यालय में उपलब्ध जांच रिपोर्ट।
- 2 समाचार पत्र की प्रति।
- 3 सम्बन्धित कर्लक।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/73-2013 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 15-3-16

- 1 श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका, [091507], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 श्रीमती रेणु, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि 15 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती हैं।
- 3 श्रीमती रेणु, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो उन्हें निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इंकार कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती रेणु, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती हैं जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं हैं तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्रीमती रेणु, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएँ।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

क्रमांक

दिनांक

रजिस्टर्ड

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 16-3-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
- 2 प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 3 श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका, [091507], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 4 टी आ/आई टी सैल।

Khoo/s Singh
अधीक्षक एच0आर0एम0-II

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,

पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध— श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका,[091507],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

.....

श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका,[091507],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है:-

1. विद्यालय में समय पर न आना तथा बच्चों को ठीक तरह से न पढ़ाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा को न निभाना।
2. विद्यालय में बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
3. विद्यालय का माहौल खराब करने के लिए गुटबाजी करना।
4. दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए घरने पर बैठने का साहस करना।
5. विद्यालय के मुख्याध्यापक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर विद्यालय का माहौल खराब करना।
6. विद्यालय के खिलाफ भीडिया में ब्यानबाजी करके विभाग की छवि खराब करना।
7. अभिभावकों को भड़काकर विद्यालय में दिनांक 12.05.2015 को ताला लगवाना।

उपरोक्त अनियमितता करके आपने शिक्षा विभाग एवं विद्यालय की छवि खराब की है जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ही विपरित असर पड़ा है जिससे आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही बनती है।



(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,


पंचकूला।

अभियोग सूची विरुद्ध— श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका,[091507],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

.....

श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका,[091507],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में मुख्याध्यापक एवं श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [062379] के बीच लगभग एक वर्ष से झगड़ा चल रहा था जिसकी सूचना अध्यापिका द्वारा कभी भी किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई। दिनांक 11.05.2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 13.05.2015 को विद्यालय में जाकर जांच की तब तक भी कोई शिकायत नहीं दी गई थी। अध्यापिका ने विभागीय नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्याध्यापक के विरुद्ध अन्य अध्यापिकाओं के साथ मिलकर बगावत की तथा दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ा करते हुए घरने पर बैठने का साहस किया। इससे विद्यालय का माहौल खराब हुआ तथा विभाग की छवि खराब हुई। उक्त कृत्य करके अध्यापिका ने अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।




(विरेन्द्र कुमार देहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


गवाहों की सूची विरुद्ध— श्रीमती रेणु, गणित अध्यापिका, [091507], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

- 1 कार्यालय में उपलब्ध जांच रिपोर्ट।
- 2 समाचार पत्र की प्रति।
- 3 सम्बन्धित कर्लक।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
 ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/73-2013 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 15-3-16

- 1 श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका, [062379], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा शिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम 7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 श्रीमती राजबाला, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि 15 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उन्गों से किसी को स्वीकार करती हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती हैं।
- 3 श्रीमती राजबाला, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती हैं तो उन्हें निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय से उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती राजबाला, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती हैं जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्रीमती राजबाला, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिए।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

Washy

(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

रजिस्टर्ड

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 16-3-16

इसको एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
- 2 प्राचार्य, रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 3 श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका, [062379], रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)
- 4 टी ओ/आई टी सैल।

Shoop Singh
 अधीक्षक एच0आर0एस0-11

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
 पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध— श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका,[062379],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)

.....

श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका,[062379],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) ग कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है-

1. विद्यालय में समय पर न आना तथा बच्चों को ठीक तरह से न पढ़ाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा को न निभाना।
 2. विद्यालय में बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
 3. विद्यालय का माहौल खराब करने के लिए गुटबाजी करना।
 4. दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए घरने पर बैठने का साहस करना।
 5. विद्यालय के मुख्याध्यापक पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर विद्यालय का माहौल खराब करना।
 6. विद्यालय के खिलाफ मीडिया में ब्यानबाजी करके विभाग की छवि खराब करना।
 7. अभिभावकों को भड़काकर विद्यालय में दिनांक 12.05.2015 को ताला लगवाना।
- उपरोक्त अनियमितता करके आपने शिक्षा विभाग एवं विद्यालय की छवि खराब की है जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा है जिससे आपके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही बनती है।



(विरेंद्र कुमार दाहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूची विरुद्ध— श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका,[062379],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत)।

.....

श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका,[062379],रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितता करके अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

रा0व0मा0वि0, खेवड़ा (सोनीपत) में मुख्याध्यापक एवं श्रीमती ज्योति नारा, विज्ञान अध्यापिका [062379] के बीच लगभग एक वर्ष से झगड़ा चल रहा था जिसकी सूचना अध्यापिका द्वारा कभी भी किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई। दिनांक 11.05.2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 13.05.2015 को विद्यालय में जाकर जांच की तब तक भी कोई शिकायत नहीं दी गई थी। अध्यापिका ने विभागीय नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्याध्यापक के विरुद्ध अन्य अध्यापिकाओं के साथ मिलकर बगावत की तथा दिनांक 15.05.2015 को बिना अनुमति लिए विद्यालय छोड़कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए घरने पर बैठने का साहस किया। इससे विद्यालय का माहौल खराब हुआ तथा विभाग की छवि खराब हुई। उक्त कृत्य करके अध्यापिका ने अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।




(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

गवाहों की सूची विरुद्ध— श्रीमती राजबाला, एस0एस0 अध्यापिका,[062379],रा0व0भा0वि0, खेवडा (सी0पी0)

- 1 कार्यालय में उपलब्ध जांच रिपोर्ट।
- 2 समाचार पत्र की प्रति।
- 3 सम्बन्धित कर्लक।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।